

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स0क0निग0-232/2024-...1469.../निदेशक, आई०सी०डी०एस० के पत्रांक-5882 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरुद्ध सेविका / सहायिका की माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का उपस्थिति विवरणी आंगन एप पर ससमय अपलोड नहीं करने तथा श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-27.02.2024 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1967 का उत्तर सामग्री तैयार कर बाल विकास परियोजना, छौड़ाही एवं खोदावंदपुर के क्रमशः पत्रांक-50 दिनांक-16.02.2024 तथा पत्रांक-76 दिनांक-16.02.2024 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को दिया गया है परंतु दिये गये उत्तर सामग्री में प्रश्न क्रमांक-3 के संबंध में मूल तथ्यों को छुपा लिया गया है, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक पाते हुए श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक-5927 दिनांक-19.11.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती दर्शना कुमारी के पत्रांक-608 दिनांक-05.12.2024 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद नहीं मानते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के लिए श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
2. निलंबन अवधि में निलंबन अवधि का मुख्यालय- आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।
3. विभागीय कार्यवाही के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-232/2024-

पटना-15 दिनांक -

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-232/2024-

1469

पटना-15 दिनांक -3-3-2025

ई-मेल /
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु)/श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खुदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छोड़ाही, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।